भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1391
08.12.2015 को उत्तर के लिए

भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन

1391. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल वन क्षेत्र कितना है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वन क्षेत्र में हुई वृद्धि/कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने वन क्षेत्र को उद्योगों, आवासीय क्षेत्रों, सडक़ों, रेलवे तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विपथित किया गया;

(ग) राज्य-वार कितना वन क्षेत्र आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा ग्राम वन माना जाता है;

(घ) लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर कितनी धनराशि का शुल्क लगाया गया है; और

(ङ) भारतीय वन क्षेत्र, 1927 के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला और ऐसे उल्लंघन के लिए कितने लोगों को अभियोजित किया गया?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) भारत, वन-स्थिति रिपोर्ट-2013 के अनुसार देश का कुल वनावरण, 6,97,898 वर्ग कि.मी. है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.23 प्रतिशत है । भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 की तुलना में देश के वनावरण में 5871 वर्ग कि.मी. की निवल वृद्धि हुई है । राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों में वनावरण में वृद्धि/कमी दर्शाने वाला विस्तृत सूची **अनुबंध-I** में दी गई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 4,725 मामलों में 1,28,591 हेक्टेयर वन भूमि पर अनुमोदन प्रदान किए हैं । ऐसे कार्यकलापों के लिए वन क्षेत्रों के उपयोग का अनुमोदन, पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपाय और विकास कार्यकलापों हेतु प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित वन भूमि के बदले में वनीकरण के साथ केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत, प्रदान किया जाता है ।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन की श्रेणियों में वर्गीकृत वन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2013 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद पर प्रचलित नियमों तथा विनियमों के अनुसार शुल्क लगाया जाता है । मंत्रालय द्वारा इस जानकारी का संकलन और रख-रखाव नहीं किया जाता है ।

(ङ.) वनों का संरक्षण और प्रबंधन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है । वन संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई विभिन्न अधिनियमों जैसे भारतीय अधिनियम, 1927; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न राज्य विशिष्ट नियमों एवं विनियमों के अनुसार की जाती है । भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उल्लंघन से संबंधित सूचना का संकलन मंत्रालय के स्तर पर नहीं किया जाता है ।

अनुबंध-।

'भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन' के संबंध में दिनांक 08.12.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 1391 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2013 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण में परिवर्तन

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कुल वनावरण 2011	कुल वनावरण 2013	2011 के मूल्यांकन की तुलना में वनावरण में परिवर्तन
आन्ध्र प्रदेश	275069	46389	46116	-273
अरूणाचल प्रदेश	83743	67410	67321	-89
असम	78438	27673	27671	-2
बिहार	94163	6845	7291	446
छत्तीसगढ़	135191	55674	55621	-53
दिल्ली	1483	176.2	180	3.61
गोवा	3702	2219	2219	0.00
गुजरात	196022	14619	14653	34
हरियाणा	44212	1608	1586	-22
हिमाचल प्रदेश	55673	14679	14683	4
जम्मू और कश्मीर	222236	22539	22538	-1
झारखंड	79714	22977	23473	496
कर्नाटक	191791	36194	36132	-62
केरल	38863	17300	17922	622
मध्य प्रदेश	308245	77700	77522	-178
महाराष्ट्र	307713	50646	50632	-14
मणिपुर	22327	17090	16990	-100
मेघालय	22429	17275	17288	13
मिजोरम	21081	19117	19054	-63
नागालैंड	16579	13318	13044	-274
ओडिशा	155707	48903	50347	1444
पंजाब	50362	1764	1772	8
राजस्थान	342239	16087	16086	-1
सिक्किम	7096	3359	3358	-1
तमिलनाडु	130058	23625	23844	219
त्रिपुरा	10486	7977	7866	-111
उत्तर प्रदेश	240928	14338	14349	11
उत्तराखंड	53483	24496	24508	12
पश्चिम बंगाल	88752	12995	16805	3810
अंडमान एवं निकोबार	8249	6724	6711	-13
चंडीगढ़	114	17	17.26	0.26
दादरा एवं नगर हवेली	491	211	213	2
दमन एवं दीव	112	6.15	9.27	3.12
लक्षद्वीप	32	27.06	27.06	0
पुदुचेरी	480	50.06	50.06	0
कुल योग	**3287263**	**692027**	**697898**	**5871**

अनुबंध-।।

'भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन' के संबंध में दिनांक 08.12.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 1391 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुरक्षित वन क्षेत्र (1)	संरक्षित वन क्षेत्र (2)	अवर्गीकृत वन क्षेत्र (3)	कुल (1+2+3)
आन्ध्र प्रदेश	50,479	12,365	970	63,814
अरूणाचल प्रदेश	10,723	9,779	31,039	51,541
असम	17,864	0	8,968	26,832
बिहार	693	5,779	1	6,473
छत्तीसगढ़	25,782	24,036	9,954	59,772
दिल्ली	78	7	0	85
गोवा	253	0	972	1,225
गुजरात	14,373	2,886	4,388	21,647
हरियाणा	249	1,158	152	1,559
हिमाचल प्रदेश	1,898	33,130	2,005	37,033
जम्मू और कश्मीर	17,643	2,551	36	20,230
झारखंड	4,387	19,185	33	23,605
कर्नाटक	28,690	3,931	5,663	38,284
केरल	11,309	0	0	11,309
मध्य प्रदेश	61,886	31,098	1,705	94,689
महाराष्ट्र	51,548	6,727	3,082	61,357
मणिपुर	1,467	4,171	11,780	17,418
मेघालय	1,113	12	8,371	9,496
मिजोरम	7,909	3,568	5,240	16,717
नागालैंड	86	508	8,628	9,222
ओडिशा	26,329	15,525	16,282	58,136
पंजाब	44	1,137	1,903	3,084
राजस्थान	12,475	18,217	2,045	32,737
सिक्किम	5,452	389	0	5,841
तमिलनाडु	19,388	2,183	1,306	22,877
त्रिपुरा	4175	2	2117	6,294
उत्तर प्रदेश	11,660	1,420	3,503	16,583
उत्तराखंड	24,643	9,885	123	34,651
पश्चिम बंगाल	7,054	3,772	1,053	11,879
अंडमान एवं निकोबार	5,613	1,558	0	7,171
चंडीगढ़	32	0	3	35
दादरा एवं नगर हवेली	199	5	0	204
दमन एवं दीव	0.24	0	8.03	8.27
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	2	11	13
कुल योग	**425,494**	**214,986**	**131,341**	**771,821**